न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 93/2020 (2020/00482) दर्ज दिनांक 04.09.2020
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. रेखा पत्नि लक्ष्मीनारायण लोहार निवासी झूमपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीया

बनाम

1. नाराणी पुत्री नानू जाट
2. रामकन्या पुत्री नानू जाट
3. लीला पुत्री नानू जाट
4. मु0 संतोकी पत्नि नानू जाट
5. रोशन पिता उदा गुर्जर
6. शिवलाल पिता उदा गुर्जर
7. नानूड़ी वेवा उदा गुर्जर
8. मु0 चांदी पुत्री रूपा गुर्जर
9. जस्सु पिता बख्ता गुर्जर
10. नाराण पिता लालु गुर्जर
11. मांगू पिता बख्ता गुर्जर
12. मु0 लाडु पुत्री रूपा गुर्जर
13. हगामी पत्नि स्व0 लालु गुर्जर

सर्व निवासी झूमपुरा तसहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री मुकेश कुमार चौधरी

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:–09.11.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम झूमपुरा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 171/1 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.03 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 165 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 13 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिये गये प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :- 93/2020 (2020/00482)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम झूमपुरा पटवार हल्का नांदशा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 171/1 रकबा 0.03 हे0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.03 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 165 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/- (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.
09/11/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:07:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner